

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठसीन अधिकारी

: श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या

: 168/2010

सायलान :-

बनाम

गैरसायलान :-

1. गोपाराम पुत्र तुलछाराम
2. गोकलराम पुत्र तुलछाराम
फौत के कायम मुकाम :-
2/1 शिवराम पुत्र गोकलराम
2/2 धाराराम पुत्र गोकलराम
2/3 प्रकाश पुत्र गोकलराम
2/4 श्रवणीदेवी पत्नि गोकलराम
जातियान-बावरी, निवासी-वांजाकुड़ी
तह०-जैतारण (जिला-पाली)

1. नारायण पुत्र तुलछाराम
2. जगदीश पुत्र मोहनलाल
जातियान-बावरी,
निवासीगण-वांजाकुड़ी
तह०-जैतारण (जिला-पाली)
3. तहसीलदार, जैतारण
तह०-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 29.12.2010

- उपस्थित:-
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
 2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, गै०सा०।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 93/2011 ✓

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थी :-

1. जगदीश पुत्र मोहनलाल
जाति-बावरी, निवासी-वांजाकुड़ी
तह०-जैतारण (जिला-पाली)

1. गोपाराम पुत्र तुलछाराम
2. शिवराम पुत्र गोकलराम
3. धाराराम पुत्र गोकलराम
4. प्रकाश पुत्र गोकलराम
5. श्रवणीदेवी पत्नि गोकलराम
जातियान-बावरी, निवासी-वांजाकुड़ी
तह०-जैतारण (जिला-पाली)


राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 07.07.2011

- उपस्थित:-
1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायलान।
 2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै०सा०।


--: निर्णय :-


दिनांक:- 15/06/2015

वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना विरुद्ध गै०सा० अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-वांजाकुड़ी, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में सायलान एवं गै०सा० संख्या 1 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 908 व 909 कुल किता-2 कुल रकबा 14-17 बीघा की आई हुई हैं। जिसके सायलान व गै०सा० एक रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजी सायलान व गै०सा० संख्या 1 की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा के बंटवाड़ा नहीं हुआ है, आपसी सहमति से वर्षों



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)


पूर्व से मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है। जिस पर रोड़ के समानान्तर पारा में चिपते ही सायल संख्या 2 के उत्तराधिकारी के हक हिस्से की जमीन है। इसके बाद मध्य में गोपाराम के हक हिस्से की जमीन है व अन्त में गै0सा0 नारायण के हक हिस्से की जमीन थी जो सायल संख्या 2 के उत्तराधिकारी को बेचान ईकरार के दी हुई है। सायलान व गै0सा0 संख्या 1 की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से राजस्व रेकॉर्ड में उक्त सम्पूर्ण भूमि संयुक्त व शामलाती रूप से दर्ज है। इसी वजह से गै0सा0 संख्या 2 ने गै0सा0 संख्या 1 को कपट व धोखे से अपने विश्वास में लेकर उक्त विवादित आराजी में से गै0सा0 संख्या 1 की 1/3 हिस्से का बेचाननामा अपने पक्ष में रजिस्टर्ड करवाया है तथा उक्त भूमि रोड़ के समानान्तरण होने का झूठा अंकन किया है। गै0सा0 संख्या 2 अजनबी क्रेता हैं, जिसे बंटवाड़ा होने तक इस संयुक्त व शामलाती आराजी में प्रवेश करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले सायल बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कराने के विधिक रूप से अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश किया है। दिना सायलान का बंटवाड़ा कराये किसी विशिष्ट भू-भाग को हस्तान्तरण करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। गै0सा0 संख्या 1 ने संयुक्त व शामलाती विवादित आराजी में से रोड़ के चिपते ही अपना 1/3 हिस्सा होना बताकर गै0सा0 संख्या 2 के हक में बेचाननामा निष्पादित करवाया है एवं अब इसी बेचान के आधार पर गै0सा0 संख्या 2 सायल के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने की कुचेष्टा कर रहा है। जबकि उक्त क्रेता को कोई अधिकार नहीं है। गै0सा0 संख्या 2 बतौर अतिक्रमी विवादित आराजी में कब्जा करने हेतु बल प्रयोग हेतु आमादा है व दिनांक 07/12/2010 को सायलान को एलानिया धमकी दी कि सड़क से चिपते ही कब्जा करूंगा गै0सा0 जबरदस्ती कब्जा किया तो सायलान गै0सा0 के ऐसे कृत्य का विरोध करेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। गै0सा0 के जबरदस्ती कब्जा करने पर सायलान अपनी खातेदारी व कब्जा काशत से हमेशा के लिए वंचित हो जायेंगे। समस्त तथ्यों परिस्थितियों, दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जे काशत अनुसार सायलान का प्रथम दृष्टया मामला पक्ष में बखूबी प्रमाणित है, यदि गै0सा0 द्वारा विवादित भूमि को खुरद-बुर्द एवं हस्तान्तरण करने की स्थिति में सायलान को अपूरणीय क्षति होना एवं सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में होना प्रमाणित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित आराजी में सायलान के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने पर तथा विवादित भूमि के विशिष्ट भू-भाग का बेचान रद्दोबदल हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईशतदुआ की है इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। गै0सा0 संख्या 2 व 3 को बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 31/01/2011 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 02/05/2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 09 R 7 R/W 151 CPC का प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर उक्त एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त / सैट-ए-साईट किये जाने की ईशतदुआ की है। उक्त प्रार्थना पत्र का जबाबदाएगी दिनांक 26/05/2011 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी आज तक वकील सायलान देने में विफल रहे हैं। वकील गै0सा0 संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र एवं जबाबदाएगी पेश नहीं करने से बन्द किया जाता है। रा0द0 संख्या 93/2011 का दिनांक 07/07/2011 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण जगदीश बनाम गोपाराम वगैरह में वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना विरुद्ध गै0सा0




उपखण्ड अधिकारी
बंठारण (पानी)

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में ही पेश किया कि उक्त भूमि का गौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के आपस में 30 वर्षों पहले बंटवाड़ा किया हुआ है, सायल ने उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा नारायण पुत्र तुलछाराम से दिनांक 24/11/2010 को खरीद की थी, तब से लगातार 1/3 हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड अनुसार बतौर सायल खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। उक्त मुतनाजा भूमि में तीनों भाईयों के नाम 1/3-1/3-1/3 हिस्से माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं, इसी हिस्से माफिक गौके पर कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक आज दिन तक चला आ रहा है। नारायण के कोई औलाद नहीं होने से तथा वृद्ध अवस्था होने से खाने कमाने का कोई जरिया नहीं होने से 1/3 हिस्से की 4-19 बीघा प्रार्थी को बेचान कर कब्जा सौंप दिया। इससे नाराज होकर गै०सा० ऐलानिया कहते हैं कि उक्त भूमि की कीमत राशि दिये बिना ही हग काश्त करेंगे, जबकि बेचानकर्ता नारायण के पास कोई कमाई का जरिया नहीं होने से सायल को उक्त भूमि प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान कर दी। जबकि गै०सा० का अपने हिस्से की जमीन के अलावा बेचान की जमीन पर कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता, फिर भी गौके पर जमीन के कब्जे को लेकर सायल से लड़ाई टब्य करने पर उतारू हैं। खरीदसुदा जमीन गै०सा० ने अपने हिस्से की जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु अदालत बाला में दावा कर रखा है व दावा के साथ तीनों का अलग-अलग कब्जा बताकर गौके का नजरी नक्शा पेश किया है। फिर भी गै०सा० की नियत में फर्क होने से कीमतें बढ़ जाने से सायल की खरीद सुदा व कब्जा सुदा जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हैं। जबकि गै०सा० को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गै०सा० ने दिनांक 01/07/2011 को प्रार्थी के खरीद सुदा व कब्जा सुदा जमीन पर जबरदस्ती खड़ाई कर दी, जिसका फौजदारी मुकदमा अप्रार्थीगण के खिलाफ पुलिस थाना जैतारण में दर्ज करवाया, जिसकी तफ्तीश जारी है। सायल व गै०सा० यानि तीनों हिस्से की जमीन रोड़ पर लगती हैं तथा गौके पर मॉटे बनी हुई हैं। लेकिन गै०सा० सायल के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने पर आमादा हैं। गै०सा० ने इससे पूर्व भी सायल के कब्जे काश्त में दखलबन्दाजी करने व जेरीबी मशीन को रोकने की कोशिश की, जिसका फौजदारी मुकदमा भी दर्ज होकर गै०सा० के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। सायल का कब्जा काश्त होने के बावजूद भी गै०सा० द्वारा बेदखल करने पर सायल अपने जायज हक अधिकारों से वंचित रह जायेगा व विविध प्रकार से मुकदमें बाजी होगी, जिससे प्रार्थी जैर बार हो जायेगा। सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण मजबूत है, सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में है। गै०सा० द्वारा जबरन करने पर सायल को असीम हानि होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सायल के 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में दखलबन्दाजी करने गै०सा० को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै०सा० संख्या 2 व 3 की ओर से भी सुरेश चौधरी अधिवक्ता ने दिनांक 08/08/2011 को वकालतनामा पेश किया, सा०मि० हैं। श०द० संख्या 168/2010 में गै०सा० संख्या 1 व 4 सायल पक्षकार होने से अधिवक्ता गै०सा० संख्या 1 से 5 की ओर से लगातार दिनांक 08/08/2011 से वकालतनामा व जबाब पेश करने में विफल रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है तथा जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।





जयपुर-राजस्थान
जिलाधिकारी
जयपुर (पाली)


पत्रावली रा0द0 संख्या 168/2010 एवं 93/2011 आज राज्य लोक अदालत शिविर अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी में दिनांक 15/06/2015 को प्रस्तुत हुई। उभय पक्षकारानों को सुना गया। बहस वकूलाय सुनी गई। वस्तुतः सायलान एवं गै0सा0 राज्य रेकर्ड अनुसार आतेदार काश्तकार होना प्रमाणित है। उक्त राज्य प्रार्थना पत्रों से सम्बद्ध राज्य वाद प्रकरणों में जबाबदावा कायमी तनकियात साक्ष्य आदि रेकर्ड पर लेकर विवेचन / विश्लेषण आदि के आधारों पर निर्णय पारित किया जावेगा। लिहाजा प्रार्थना पत्रों के इन प्रकरणों में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29/12/2010 एवं 07/07/2011 को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

---आदेश:--

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0सा0 इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा-बांजाकुड़ी, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 908 रकबा 6-12 बीघा व खसरा नम्बर 909 रकबा 8-05 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 14-17 बीघा भूमि की विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भू-भाग का रहन बैय आदि हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को रोका जाता है तथा रा0द0 संख्या 93/2011 में सायल के 1/3 हिस्से की भूमि में कोई दखलन्दाजी नहीं करने तथा उक्त विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र में जारी दिनांक 29/12/2010 एवं 07/07/2011 की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। निर्णय की प्रति रा0द0 संख्या 93/2011 के संलग्न की जावे। पत्रावली फ़ैसल नम्बर होकर नम्बर से कम हो। बाद तकगील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार चमकाये।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2015 को आयोजित राज्य लोक अदालत शिविर-अटल सेवा केन्द्र - बांजाकुड़ी में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)


उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)